| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही ... |
|---|---|
| 13.9.21 | पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दिनांक 1.11.21 को पेश हो। |
| 1.11.21 | पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट मोडसा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां का जवाब प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 1198 रकबा 0-10 बीघा ग्राम मोडसा वर्तमान में रामकुंवार वल्द नाथूलाल कौम ब्राह्मण सा० देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि उक्त ख.नं. 1198 रकबा 0-10 बीघा दिनांक 23/5/87 को सन्तु कुमार S/o नाथूलाल जाति ब्राह्मण सा० मोडसा के नाम आवंटन हुआ था, परन्तु उक्त आवंटन आदेश का रेकार्ड में अमल दरामद करते वक्त सन्तु कुमार के स्थान पर रामकुंवार दर्ज हो गया। यह कि रामकुंवार पि० नाथूलाल जाति ब्राह्मण नाम से कोई भी व्यक्ति ग्राम मोडसा में नही है। प्रार्थी रामकुंवार का रिकार्ड मे दर्ज नाम के स्थान पर सन्तु कुमार दर्ज किया जाना उचित है।<br>हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रामकुंवार नाम गलत रिकार्डेड है। अतः नाम में संशोधन किया जाना [illegible] है। अतः ग्राम मोडसा पटवार [illegible] मोडसा की जमाबंदी [illegible] खाता सं. नया 39[illegible] ख.नं. 1198 रकबा 0-10 बीघा पर दर्ज "रामकुंवार वल्द नाथूलाल जाति ब्राह्मण" के स्थान पर |

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| "रामकुंवार उर्फ सन्तुकुमार आत्मज नाथूलाल जाति ब्राह्मण" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधित किया जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नैनवां (बून्दी) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner